प्रेस विज्ञप्ति

08.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पैनकार्ड क्लब निवेश धोखाधड़ी मामले में मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, मुंबई (पीयूएल) और आरोपी स्वर्गीय सुधीर मोरवेकर की विदेशी सहायक कंपनियों के नाम पर 30 विदेशी संपत्तियों (थाईलैंड में 22, यूएई में 6 और यूएसए में 2) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां 2002 से 2015 की अवधि के दौरान 54.32 करोड़ रुपये के बराबर कुल भुगतान करके हासिल की गई हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। वर्ष 1997 से 2017 की अवधि के दौरान, मेसर्स पैन कार्ड लिमिटेड (पीसीएल) ने अनधिकृत रूप से भारत भर में लगभग 51 लाख निवेशकों से निवेश एकत्र किया और इनमें से कई निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये से अधिक वापस करने में विफल रहा। ईओडब्ल्यू ने मेसर्स पीसीएल, पीयूएल और अन्य 44 संबंधित कंपनियों, मेसर्स पीसीएल के 6 निदेशकों और मेसर्स पीसीएल के 5 मार्केटिंग प्रतिनिधियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि तकरीबन 99 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध की आय (पीओसी) पीसीएल से पीयूएल में स्थानांतरित की गई थी, इसके अलावा पीओसी को मृतक आरोपी सुधीर मोरावेकर के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया था। यह भी पता चला है कि वर्ष 2002 के दौरान, पीयूएल द्वारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स (ओडीआई) के माध्यम से न्यूजीलैंड में एक होटल खरीदा गया था। बाद में संपत्ति को बेच दिया गया और न्यूजीलैंड में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को आरबीआई/बैंक को विधिवत रिपोर्ट किए बिना बंद कर दिया गया। ओडीआई निवेश यूएसए, यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर में भी किए गए थे और 2002 से 2014 की अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये (लगभग) के बराबर धन प्रेषण किए गए थे। इन विदेशी सहायक संस्थाओं के नाम पर संपत्ति अर्जित की गई थी। यह भी पता चला है कि दिवंगत सुधीर मोरावेकर के दोनों बेटे यूएसए और यूएई में इनमें से कुछ संपत्तियों को बेचने की योजना बना रहे थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।